बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC-177

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक–26/02/2018

विषय – छपरा जिलान्तर्गत सोनपुर–दरिहारा (0.00-39.40 KM) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 44.16 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – विभागीय पत्रांक 107 (ई०) दिनांक 01.02.2018 एवं कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, छपरा का पत्रांक 284 दिनांक 10.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि विषयाधीन परियोजना में दो अलग–अलग प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 284 दिनांक 10.02.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कारण स्पष्ट की गयी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि यह पथ सोनपुर (0.00 कि०मी०) से प्रारंभ होकर दरिहारा होते हुए रेवाघाट पुल के पहुँच पथ (NH-102) पर मिलती है जिसका चैनेज 39.40 कि०मी० है।

प्रस्तावित पथ का रख–रखाव पूर्व में (0.00–21.00 कि०मी०) पथ निर्माण विभाग के देख--रेख में कराया जा रहा है एवं 22.00–39.40 कि०मी० का निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के द्वारा कराया गया है। अब सोनपुर–दीघा रेल–सह–सड़क मार्ग पर परिचालन प्रारंभ हो जाने के बाद छपरा जिला को मुजफ्फरपुर जिला से जोड़ने के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण पथ है जिसके कारण इस पथ को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आवश्यक हो गया है।

इस क्रम में पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा इस योजना को लिया गया है। इस पथ की प्रशासनिक स्वीकृति पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 7081 (S) दिनांक 02.09.2016 चैनेज (0.00–21.00 कि०मी०) एवं पत्रांक 6830 (S) दिनांक 24.08.2016 चैनेज (22.00–39.40 कि०मी०) द्वारा अलग–अलग प्राप्त होने कारण, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा दो अलग–अलग प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि (21.00–22.00 कि०मी०) पथांश समर्पित प्रस्ताव में सम्मलित है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के मार्ग निर्देशों के आलोक में पूर्व में भेजे गये प्रस्ताव को इस कार्यालय द्वारा समेकित करते हुए अनुशंसा की जा चुकी है।

छपरा जिलान्तर्गत सोनपुर–दरिहारा (0.00-39.40 KM) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 44.16 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, छपरा का प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1991 एवं अधिसूचना संख्या 485 (ई०) दिनांक 15.04.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 44.16 हे० वन भूमि, एवं 3442 वृक्षों के पातन का आकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, छपरा द्वारा किया गया है, साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0 है। अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, छपरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, छपरा द्वारा दो अलग–अलग 24.15 हे० एवं 20.01 हे० के लिये निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र कि मूल प्रति प्रस्ताव के साथ पूर्व में संलग्न भेजी गयी है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 44.16 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 88.32 हे० अवकृष्ट वन भूमि को रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के रोहतास प्रक्षेत्र अन्तर्गत के दो PF यथा कटुडाढ़ (49.00 हे०) एवं तिउरा (41.00 हे०) को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 44.16 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,76,44,160/– (रूपये दो करोड़ छियत्तरह लाख चौवालीस हजार एक सौ साठ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 44.16 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के रोहतास प्रक्षेत्र अन्तर्गत के दो अवकृष्ट सुरक्षित वन भूमि कुल 88.00 हे० यथा कटुड़ढ़ (49.00 हे०) एवं तिउरा (41.00 हे०) को चिन्हित करते हुए दो प्राक्कलन कुल रू० 1,88,20,000/– मात्र का प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

ज्ञापांक–FC-177 दिनांक– 26/02/2018

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, छपरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० पाण्डेय) 26/02/18
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।